

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Election Petition No. 6/2024

Anil Chopra S/o Babu Lal Chopra

-----Petitioner

Versus

The Returning/assistant Returning Officer

-----Respondent

For Petitioner(s) : श्री संजय शर्मा
For Respondent(s) : श्री ओंकार सिंह राजपुरोहित, लोक अभियोजक
श्री अक्षत शर्मा वास्ते
श्री अनुराग शर्मा

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

20-09-2025

याची की ओर से प्रार्थना पत्र संख्या -03/2025 अन्तर्गत आदेश 5 नियम 20 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर अयाची संख्या 5,6,7,9 व 10 की तामील जरिए अखबार कराये जाने का निवेदन किया गया है । प्रार्थना पत्र के साथ शपथपत्र भी प्रस्तुत किया गया है ।

सुना गया ।

योग्य अधिवक्ता याची का निवेदन है कि अयाची संख्या 5,6,7,9 व 10 के नोटिस सामान्य प्रक्रिया व पंजीकृत डाक से बार-बार भेजे गए हैं परन्तु अयाचीगण तामील से बच रहे हैं । उनका यह भी निवेदन है कि अयाची संख्या-5 राव राजेन्द्र सिंह, जिन्हें मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट के लिए निर्वाचित घोषित किया गया है, वे भी तामील से बच रहे हैं ।

प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व कारणों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है । अयाची संख्या-5,6,7,9 व 10 की तामील दैनिक

अखबार " राजस्थान पत्रिका" के स्थानीय संस्करण, जहां उक्त अयाचीगण निवास करते हैं, के जरिए कराये जाने के आदेश दिए जाते हैं।

इस चुनाव याचिका के संबंध में जो अनुतोष चाहे गए हैं उसे देखते हुए अयाची संख्या-5,6,7,9 व 10 को सामान्य रूप से भी नोटिस जारी किए जावें एवं अयाचीगण के पते के निवास स्थान पर नोटिस चस्पानगी से भी तामील करवायी जावे।

योग्य अधिवक्ता याची उक्त तामील प्रक्रिया के संबंध में समस्त कार्यवाही 2 सप्ताह में पूर्ण करें ।

योग्य अधिवक्ता अयाची संख्या 1 से 4 जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहते हैं ।

पत्रावली छः सप्ताह बाद सूचीबद्ध की जावे।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J